

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक - वि० प्रा० (II) स्था०-05/2021 (पार्ट-03)/

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

मंजीत कुमार,
संयुक्त निदेशक (प्र०)।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा/अस्थावाँ (नालंदा) एवं का०ना०सिंह राजकीय पोलिटेकनिक,
समस्तीपुर

विषय - M.Tech/Ph.D कोर्स में नामांकन किये जाने/पूर्णकालीन से अंशकालीन मोड में परिवर्तन किये जाने हेतु विभागीय अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-2 में अंकित व्याख्याताओं/विभागाध्यक्षों को स्तम्भ-3 में उल्लिखित प्रयोजन हेतु निम्न शर्तों के अधीन विभागीय अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	व्याख्याता का नाम/पदनाम/ पदस्थापित संस्थान का नाम	NOC का प्रयोजन	कोर्स प्रारंभ करने का वर्ष/तिथि
1	2	3	4
1.	सुधीर कुमार, व्याख्याता (यांत्रिकी अभि०), का० ना० सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, समस्तीपुर।	NIT, Jamshedpur से अंशकालीन M.Tech कोर्स में नामांकन हेतु।	2026
2.	वसीम अकरम, व्याख्याता (सी०एस०ई०), राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा।	NIT, Jamshedpur से अंशकालीन Ph.D कोर्स में नामांकन हेतु।	2026
3.	मो० एखलाख अंसारी, व्याख्याता (यांत्रिकी अभि०), राजकीय पोलिटेकनिक, अस्थावाँ, नालंदा।	NIT, Jamshedpur से अंशकालीन M.Tech कोर्स में नामांकन हेतु।	2026

(i) अंशकालीन M.Tech/M.E/Ph.D कार्यों का निष्पादन संस्थानीय अवकाश के दिनों में ही करेंगे। यदि अवकाश के दिनों में भी इन शिक्षकों की आवश्यकता संस्थान में होती है तो इस स्थिति में विभाग द्वारा उपरोक्त अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। प्राचार्य इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा प्राचार्य द्वारा की जायेगी।

(ii) संबंधित शिक्षकों के द्वारा किये जा रहे पठन-पाठन का कार्य एवं अन्य आवंटित दायित्व बाधित नहीं होना चाहिए।

(iii) सरकार द्वारा इस हेतु किसी प्रकार के वित्तीय भार का वहन नहीं किया जायेगा।

(iv.) अवकाश अवधि का यह तात्पर्य नहीं है कि रविवार को संस्थानीय अवकाश मानते हुए शनिवार और सोमवार को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहेंगे।

५

(v.) M.Tech/M.E/Ph.D पूरा करने के उपरांत 05 (पाँच) वर्ष तक विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बीच में सेवा छोड़ने पर 20 (बीस) लाख रुपये सरकारी कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

(vi) अंशकालीन M.Tech/M.E/Ph.D करने की अवधि में विशेष परिस्थिति को छोड़कर अन्य अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश (महिला शिक्षकों के लिए) का उपभोग नहीं किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(मंजीत कुमार)

संयुक्त निदेशक (प्र०)।

ज्ञापांक— वि० प्रा० (II) स्था०-05/2021 (पार्ट-03)/ 6117 /पटना, दिनांक— 24.9.2026

प्रतिलिपि:— आई० टी० मैनेजर (अपलोड एवं ईमेल हेतु) विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त निदेशक (प्र०)।